

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
22/23	212 RTA	बैंगना	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
बृजराज	बनाम	कल्याणी बाई वगै०

वकील :-	श्री बनेसिंह चौहान एड०	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

28.03.2023

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.05.2023 को पेश हो।

ML

5-5-23

गौदासीन अधिकारी श्री अजय चौरा में पत्र
में रहने से पूर्ववत दिनांक 16-6-23
को प्रस्तुत की।

ML

उप खण्ड अधिकारी बारां

16-6-23

गौदासीन अधिकारी श्री अजय चौरा में पत्र
में रहने से पूर्ववत दिनांक 28-7-23
को प्रस्तुत की।

ML

उप खण्ड अधिकारी बारां

28-7-23

गौदासीन अधिकारी श्री अजय चौरा में पत्र
में रहने से पूर्ववत दिनांक 4-9-23
को प्रस्तुत की।

ML

उप खण्ड अधिकारी बारां

4-9-23

गौदासीन अधिकारी श्री अजय चौरा में पत्र
में रहने से पूर्ववत दिनांक 6-11-23
को प्रस्तुत की।

ML

उप खण्ड अधिकारी बारां

गौदासीन अधिकारी _____ में पत्र
में रहने से पूर्ववत दिनांक _____
को प्रस्तुत की।

ML

उप खण्ड अधिकारी बारां

4-1-24

गौदासीन अधिकारी श्री अजय चौरा में पत्र
में रहने से पूर्ववत दिनांक 21-2-24
को प्रस्तुत की।

ML

उप खण्ड अधिकारी बारां

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

4

पत्रावली पे ब्रा हुई तारीख जारी एवं अंशनी उक्त
 नही। तारीख जारी एवं अंशनी के सेन का
 आवाज अंगवर्ति ब्रि। तावजूद सूचना के न्यायालय
 के उपस्थित नही। अतः जारी का जारीना पत्र
 अंग अंशनी अंगवर्ति के तारीख लिखा
 जाय के पत्रावली के तारीख सुगाह होल बाद
 तारीख तारीख के दायित्व दफतर है।